डिस्कलेमर

आदेश संख्या 03/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 03/2026-27

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली-110003

जारी करने की तारीख: 08.05.2026

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

विषय: मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण ।

<u>अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति</u>

1 मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएएसपीएल) को मई, 2024 में एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एआईसीएलएएस) द्वारा शेख उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे) पर अंतरदेशीय एयर कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायत दी गई थी, जिसमें रियायत को दो वर्ष तक आगे बढ़ाने का प्रावधान भी है। प्राधिकरण के दिनांक 31.01.2025 के टैरिफ आदेश संख्या 15/2024-2025 के माध्यम से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर आईएसपी के लिए तदर्थ टैरिफ जारी की गई थी।

2 आईएसपी ने दिनांक 06.04.2026 की ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि सुरक्षा कार्यक्रम के लिए बीसीएएस का अनुमोदन मिलने और एक 'नियमित एजेंट' के रूप में उसका पंजीकरण करने में हुई देर के कारण वे ऐरा के दिनांक 31/01/2025 के कार्यालय आदेश संख्या 15/2024-25 की वैधता की अवधि के भीतर, जैसा कि शुरू में तय किया गया था, अपने प्रचालन आरंभ नहीं कर पाए।

3 मैसर्स एएएसपीएल ने आगे सूचित किया कि बीसीएएस ने अब मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा कार्यक्रम को अनुमोदन दे दिया है, साथ ही शेख उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर (कार्गो टर्मिनल) में एक विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में इसके पंजीकरण को भी मंज़ूरी दे दी है।

4 मैसर्स एएएसपीएल ने उपर्युक्त ईमेल में आगे सूचित किया कि वे अब संभवत: 01.05.2026 से श्रीनगर हवाईअड्डे पर अपने प्रचालन शुरू कर देंगे।

प्राधिकरण की जांच

5 प्राधिकरण ने नोट किया कि एएआईसीएलएएस ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन के लिए नई एजेंसी नियुक्ति करने के लिए निविदा जारी की। जबकि, एएआईसीएलएएस श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी। मैसर्स एएएसपीएल को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय एयर कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नई एजेंसी के रूप में चुना गया।

6 यह नोट किया गया कि एएएसपीएल ने दिनांक 08.10.2024 के पत्र के माध्यम से श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए पूर्व में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इसकी अंतरदेशीय कार्गो सुविधा के लिए एएआईसीएलएएस के लिए लागू मौजूदा टैरिफ के आधार पर है। आईएसपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 31.01.2025 के कार्यालय आदेश संख्या 15/2024-25 के माध्यम से एएएसपीएल के लिए एक तदर्थ टैरिफ जारी की थी; जो इस शर्त के अधीन थी कि प्रचालन शुरू होने से पहले सभी विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएं। यह तदर्थ टैरिफ सीओडी से 30.06.2025 तक वैध थी।

7 शेख उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे) पर नियमित एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए बीसीएएस का अनुमोदन प्राप्त करने में देरी होने के कारण, आईएसपी, ऐरा द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त 'तदर्थ आदेश' की वैधता अवधि के भीतर अपने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ रहा।

8 मैसर्स एएएसपीपीएल ने अब, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से जारी दिनांक 30.03.2026 के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा कार्यक्रम के लिए और शेख़-उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर (कार्गो टर्मिनल) में आईएसपी का विनियामक ऐजेंट (आरए) के रूप में पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि बीसीएएस द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति जारी होने की तारीख़, अर्थात 30.03.2026 या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ संविदा की वैधता की अवधि, इन दोनों में से जो भी पहले हो, से पांच (05) वर्ष के लिए वैध है।

9 प्राधिकरण ने एएएसपीएल के अनुरोध की जांच करने के बाद महसूस किया कि ऐरा के टैरिफ दिशानिर्देश-2011 के अनुसार आईएसपी द्वारा एमवाईटीपी प्रस्तुत करने और मैसर्स एएएसपीएल के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। इस बीच, नई एजेंसी द्वारा अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने की सुविधा के लिए, प्राधिकरण मैसर्स एएएसपीएल को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए दिनांक 05.07.2022 के टैरिफ आदेश संख्या 13/2022-23 के माध्यम से मैसर्स एएआईसीएलएएस के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

मैसर्स एएएसपीएल के लिए प्राधिकरण द्वारा सुविचारित तदर्थ टैरिफ (संलग्नक-I के अनुसार) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2026 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएएसपीएल) को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीओडी से 30.09.2026 तक या इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक -I** के अनुसार अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, शामिल नहीं है।

(iv) हवाई अड्डा प्रचालक एएएसपीएल द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए इस आदेश के जारी होने के तीन माह के भीतर एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में

श्री योगेन्द्र कुमार तोमर, अध्यक्ष,
अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
गोमती टॉवर, डीसी ऑफिस के सामने,
केलिस्टा रिसोर्ट के पास, कापसहेड़ा,
नई दिल्ली-110097

प्रति सूचनार्थ:

1 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2 श्री अजय भारद्वाज (सीईओ) एएआईसीएलएएस, एएआईसीएलएएस परिसर, डेल्ही फ्लाईंग क्लब रोड़, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

3 श्री जावेद अंजुम, हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, शेख उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर